

183



न्यायालय राजस्व मॉडल नं. १. ग्वालियर

प. क्र. 1 P 849-2-17

दिनांक 10-3-17 का  
श्री रामलोक झा

मोहम्मद विलदार तय असरफ सोदागर  
उम्र 76 वर्ष धान्धा छोती निवासी विजावर  
तहसील विजावर जिला उत्तरपुर म.प्र.

काप संस्तुत /  
10-3-17

--- आवेदक

(मोहम्मद गुलजार तय असरफ सोदागर)  
10-3-17

नाम

मोहम्मद गुलजार तय असरफ सोदागर  
निवासी विजावर तहसील विजावर जिला  
उत्तरपुर म.प्र. --- आवेदक

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू.रा.स. 1959 विरुद्ध आदेश  
दिनांक 20-2-17 द्वारा पारित न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी  
विजावर राजस्व जिला उत्तरपुर प. क्र. 261/बी/121 / 16-17  
के निमित्त से दखी होकर ।

- 2 -



न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :- निगरानी - 849-एक/2017

जिला-छतरपुर

मोहम्मद दिलदार विरुद्ध मोहम्मद गुलजार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
12-02-2019	<p>आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी बिजावर, जिला-छतरपुर के प्र.क्र. 261/बी-121/2016-2017 में पारित आदेश दिनांक 20-02-2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला-छतरपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 15-4-2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: center;"></p>	<p style="text-align: center;"> (आर.क. जैन) 24/2/19 सदस्य</p>